(भारत के राजपत्र असाधारण भाग.।-खण्ड–। में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 14 (आर.ई. 2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 2013

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1, 2009–2014 के पैरा 2.43.2 (ग) मे संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–1, 2009–2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. मौजूदा रूप में, प्रक्रिया–पुस्तक खण्ड 1, 2009–2014 के पैरा 2.43.2(ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः–

"विख्यात निशानेबाजों द्वारा आयातित हथियारों (आग्नेय शस्त्रों) के अंतरण के लिए आयात की तिथि से पाँच वर्षों के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। न्यूनतम लगातार तीन वर्षों के लिए विख्यात निशानेबाज के रूप में वर्गीकृत उन निशानेबाजों के संदर्भ में, आयात की तिथि से तीन वर्षों के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।"

3. उपरोक्त पैराग्राफ को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"एक विख्यात निशानेबाज (आईटीसी (एचएस) 2012 के अध्याय 93 की नीतिगत शर्त 3 में यथापरिभाषित) द्वारा किसी भावी निशानेबाज के लिए अपनी निशानेबाजी जारी रखने के लिए आयात की तिथि से दो वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) अथवा खेलकूद विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यथा प्रमाणित आयातित हथियार/हथियारों आग्नेय शस्त्र/आग्नेय शस्त्रों) के अंतरण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हस्तांतरिती बाद में, ऐसे हथियार के प्रथम क्रय की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् अन्य किसी क्रेता को जो एनआरएआई अथवा खेलकूद विभाग द्वारा यथाप्रमाणित हो की निशानेबाजी को एक खेल के रूप में जारी रखने के लिए अंतरण/पुनःबिक्री कर सकता है। ऐसा अंतरण/बिक्री शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों तथा राज्य/स्थानीय पुलिस के अन्य नियमों/विनियमों के अधीन होगा। एनआरएआई/खेल विभाग अपेक्षित रिकार्डों का रखरखाव करेगा।"

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– निशानेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आयातित हथियारों (आग्नेय शस्त्रों) के अंतरण/बिक्री की वर्तमान व्यवस्था को उदार बनाया गया है।

(अनुप के.पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/34/एएम09/पीसी–2(ख) से जारी)